

1	2	3	4	5	6	7	8
						164	1.02
						193	0.04
						1194	0.81
						1196	2.10
						2 गि0	1.22
						778 गि0	3.98
					योग	किता-12	22.97
					वन खण्ड का योग	कुल किता-19	45.12

वनखण्ड-कामा पहाड़

द्वितीय अनुसूची
पेड़ों की सूची

क्र.सं.	बोटैनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	2	3
1.	Anogeisus pendula Wall	धौकडा, धौ, कलधी, धौक
2.	Azadirachta indica, A Juss.	नीम
3.	Bauhinia variegata, Linn.	कधनार
4.	Boswellia serrata, Roxb.	सालई, सालर
5.	Balanites roxburglii, Roxb.(egyptica)	हिंगोट
6.	Butes frondosa, Koenig.	पलास,
7.	Cordia rothi	गूंदी
8.	Dalbergia sissoo, Roxb.	शीशम
9.	Ficus religiosa, Linn	पीपल
10.	Ficus bengalensis, Linn	बड
11.	Ficus cunia, Ham.	पाखर
12.	Holoptelia integrifolia, planch.	चुरेल, कन्जु, कांज
13.	Moringa pterygosperma, Gearth	सैंजना
14.	Prosopis spicigera	खेजडा
15.	Prosopis juliflora	विलायती बबूल
16.	Stephegyne parviflora. Korth	कदम, कलम
17.	Salvadora olijordes. oledis	पीलू
18.	Salvadora perseca.	जाल
19.	Wrightia tinctoria.	दूधी
20.	Zizyphus jujuba, Lam	वेर
21.	Zizyphus xylopyra, willd	घोट
22.	Adatoda vasika	अडूसा

वनखण्ड-आदिवंदी पर्वत

जयपुर, नवम्बर 13, 2009

संख्या प.2(30) वन/2008:-चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन-भूमि सरकार की सम्पत्ति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व हैं अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन-उपज अथवा उसके किसी अंश की स्वत्वधारी (Entitled) है।

(अभिमन्यु सहारण)
उप वन संरक्षक

भारत

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन-भूमि तथा बंजर-भूमि को राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29 उप-धारा (1) के अन्तर्गत रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है;

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये हैं;

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के सम्बन्ध में जाँच किया जा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि इन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा, उतना ही सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचाने की आशंका है;

इसलिये अब राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उप धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सरकार इसके द्वारा फॉरेस्ट सेंटलमेन्ट ऑफिसर/ असिस्टेंट फॉरेस्ट सेंटलमेन्ट ऑफिसर को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जाँच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जाँच तथा अभिलेखन तथा स्थायी उसी प्रणाली में किया जायेगा जैसाकि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11, (1) 12, 13, 14, 17, 18 तथा 19 में प्रवाहित है;

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर, अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जाँच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा;

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं, राज पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहीत किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशु-पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन-भूमि और बंजर-भूमि)
द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

प्रथम अनुसूची					विवरण		
क्र. सं.	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टे. में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आदिबंदी पर्वत	डीग	भरतपुर	उत्तर-करभूका ग्राम पूर्व-रुध खोह ग्राम दक्षिण-टोडा ग्राम पश्चिम-सीमा नगर तहसील	1. अलीपुर	104	11.67
						108	3.02
						112	0.72
						114	2.64
						115	23.94
						121	2.27
						124	16.12
						162	1.72
						166	4.37
						200	0.68
						208	0.53
						466	2.77

(अभिमन्यु सहारण)
उप वन संरक्षक
भरतपुर

1	2	3	4	5	6	7	8
						408	5.47
						407	4.22
						508	1.00
						512	3.38
						513	4.65
						514	4.88
						515	3.48
						537	1.93
						548	16.69
						583	5.58
						587	5.36
						588	6.00
						589	4.14
						590	5.83
						694	24.56
						701	1.18
						702	4.48
						712	20.64
						714	1.62
						718	6.56
						719	2.80
						734	7.39
						737	5.88
						742	2.98
						745	4.93
						746	6.59
						747	19.37
						748	18.26
						750	20.00
						751	20.00
						752	24.53
						753	12.00
						754	8.00
						755	8.74
						756	14.05
						757	12.09
						758	4.26
						759	14.24
						760	7.41
						118	13.73
						536	5.49
					योग	किता-53	434.80
					2. भयारी	685/1	29.00
					करमूका	738/1	15.00
					योग	किता-2	44.00
					3. जटेरी	1	19.50
						2	20.85
						3	19.96
						4	16.33
						5	14.85
						6	21.00
						7	20.00

(अभिमान्य सहारण)
उप वन संरक्षक
भरतपुर

1	2	3	4	5	6	7	8
						8	15.00
						9	20.83
						13	12.00
						360	6.38
						361	8.50
					योग	किता-12	199.00
					4. घडीमेवात	2	16.60
						3	20.85
						4	22.32
						5	17.22
						6	13.45
						7	20.74
						8	20.65
						9	17.69
						10	3.12
						11	0.05
						12	4.43
						13	0.07
						14	0.12
					योग	किता-13	183.31
					5. रुघ खोह	299	6.06
						372	3.45
					योग	किता-2	9.51
					6. टोडा	1	24.16
						2	15.00
						3	23.10
					योग	किता-3	59.28
					7. नगला खोह	589/5042	10.46
						776	177.08
						777	51.00
					योग	किता-3	238.54
					8. हयातपुर	1	12.04
					योग	किता-1	12.04
					वन खण्ड का योग	किता -89	1160.48

वनखण्ड - आदिबंदी पर्वत

द्वितीय अनुसूची
पेड़ों की सूची

क्र.स.	बोटैनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	2	3
1.	Anogeisus pendula Wall	धौकडा, धौ, कलधी, धौक
2.	Azadirachta indica, A Juss.	नीम
3.	Acacia arabica, Willd	बबूल
4.	Acacia senegal	कुमठा
5.	Albizia procera, Benth	सफेद सिरस
6.	Bauhinia malabarica Roxb.	झीझा खदुवा
7.	Bauhinia variegata, Linn.	कचनार

(अभिमान्य सहायक)
उप वन संरक्षक,
भरतपुर

1	2	3
8.	Boswellia serrata, Roxb.	सालई सालर
9.	Balanics roxburgli, Roxb. (egyptica)	हींगोट
10.	Butea frondosa, Koenig.	पलास,
11.	Cordia rothi	गूदी
12.	Celastrus peniculata, willd	नालकांगनी
13.	Dalbergia sissoo, Roxb.	शीशम
14.	Eugenia jambolana, Lam.	जामुन
15.	Ficus religiosa, Linn	पीपल
16.	Ficus bengalensis, Linn	बड
17.	Ficus cunia, Ham.	पाखर
18.	Holoptelia integrifolia, planch.	घुरेल, कन्जु, कांज
19.	Lannea grandis, Engl.	गुरजन
20.	Prosopis juliflora	विलायती बबूल
21.	Stephegyne parviflora, Korth	कदम, कलम
22.	Salvadora persea.	जाल
23.	Wrightia tinctoria.	दूधी
24.	Zizyphus jujuba, Lam	वेर
25.	Adatoda vasika	अडूसा

वनखण्ड-देवघाटी

जयपुर, नवम्बर 13, 2009

संख्या प.2(30)वन/2008:-चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन-भूमि सरकार की सम्पत्ति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व हैं अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन-उपज अथवा उसके किसी अंश की स्वत्वधारी (Entitled) है;

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन-भूमि तथा बंजर-भूमि को राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29 उप- धारा (I) के अन्तर्गत रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है;

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये हैं;

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के सम्बन्ध में जाँच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि इन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचाने की आशंका है;

इसलिये अब राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उप धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सरकार इसके द्वारा फॉरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर/ असिस्टेन्ट फॉरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जाँच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जाँच तथा अभिलेखन तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जायेगा जैसाकि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11, (I) 12, 13, 14, 17, 18 तथा 19 में प्रवाहित है,

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जाँच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग (विशेषकर) को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग (विशेषकर) को वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा,

उप वन संरक्षक
जयपुर